समाहरणालय, सीतामढ़ी
(जिला सामान्य प्रशाखा)

दिनांक 28.03.2016 को जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी के अध्यक्षता में आयोजित जिला स्तरीय स्टेडियम के प्रबंधन समिति की बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति पंजी के अनुसार :–

प्रस्ताव संख्या :– 01 :–

सर्वप्रथम निदेशक छात्र एवं युवा कल्याण विभाग बिहार, पटना के पत्रांक–124 दिनांक 04.02.2016 के निदेशानुसार इस कार्यालय के ज्ञापांक 208 दिनांक 15.02.2016 द्वारा गठित जिला स्तरीय स्टेडियम के लिए गठित प्रबंधन समिति जो निम्न प्रकार है। :–

Management Committee of District level Stadium (Multi Purpose)

1. जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी	–	अध्यक्ष
2. पुलिस अधीक्षक, सीतामढ़ी	–	उपाध्यक्ष
3. उप विकास आयुक्त, सीतामढ़ी	–	सदस्य
4. अनुमण्डल पदाधिकारी, सीतामढ़ी सदर/अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, सीतामढ़ी सदर।	–	सदस्य
5. **Sports Promoter :-** श्री श्याम किशोर प्रसाद, उच्च वर्गीय लिपिक, समाहरणालय, सीतामढ़ी–सह–मानद सचिव, सीतामढ़ी जिला क्रिकेट संघ	–	सदस्य
6. जिला खेल पदाधिकारी, सीतामढ़ी	–	सदस्य सचिव

सर्वसम्मति से गठित प्रबंधन समिति को अनुमोदित किया जाता है।

प्रस्ताव संख्या :– 02

जिला स्तरीय प्रबंधन समिति के अधीन डुमरा स्टेडियम परिसर, परित्यक्त डुमरा हवाई अड्डा मैदान एवं नेहरू भवन, डुमरा के परिसर में अवस्थित जिम भवन होगा एवं डुमरा स्टेडियम परिसर में अवस्थित निर्माणाधीन इनडोर हॉल होगा जो कि पूर्ण रूप से निर्मित होने के बाद प्रबंधन समिति के अधीन हो जाएगा।

प्रस्ताव संख्या :– 03

निदेशक छात्र एवं युवा कल्याण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–124/ दिनांक–04.02.2016 के निदेशानुसार जिला स्तरीय स्टेडियम में नियमित खेल कार्यक्रमों को संचालनार्थ एवं समुचित उपयोग हेतु नियमावली में सर्वसम्मति से नियमावली को स्थानीय स्तर पर निम्न प्रकार संशोधित किया जाता है।

General terms & condition for booking of stadium-

1. स्टेडियम एवं अन्य के आरक्षण हेतु किराया दर की राशि डिमांड ड्राफ्ट या नगद अध्यक्ष प्रबंधन समिति–सह–जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी के पदनाम से आवेदन पत्र के साथ जमा किया जायेगा। स्टेडियम के आरक्षण हेतु जमानत की राशि भी आवेदन पत्र के साथ नकद व बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जमा किया जायेगा। जिसके लिए जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी के पद नाम से एक खाता खोला जायेगा। जिसके रोकड़ बही आदि की संधारण की जिम्मेवारी उपाधीक्षक शारीरिक शिक्षा कार्यालय, सीतामढ़ी के प्रभारी पदाधिकारी की होगी।
2. स्टेडियम के रख–रखाव एवं इसकी सौंदर्यीकरण कार्य तथा विद्युत आदि का व्यय हेतु स्टेडियम परिसर के उतर तरफ के दुसरे गेट से लेकर पश्चिम तरफ अवस्थित पशुपालन कार्यालय के मोड़ तक दुकान बनाने का निर्णय लिया गया इसके लिए अनुमंडल पदाधिकारी, सीतामढ़ी सदर के अध्यक्षता में एक कमिटि गठन करने का निर्णय लिया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि दुकान का एक मॉडल होगा। जिसके लागत दर के राशि के अनुसार अग्रिम जमा कराना होगा। जिसके किराया का निधारण किया जाएगा एवं प्रत्येक तीन साल पर किराया दर में 10% की राशि की बढ़ोतरी की जाएगी। दुकान का किरायेदार के एकरानामा कि अवृधि 11 माह के लिए होगी जिसका नवीकरण प्रत्येक साल कराना होगा। प्रस्तावित दुकान में दुकानदार के द्वारा इस प्रकार का व्यवसाय करना होगा, जिससे किसी प्रकार का Public Nuesance न हो पावें। इस आशय का एकरानामा किरायेदार के द्वारा करना होगा। एक माह की सूचना पर समिति दुकान खाली करा सकेगी। लगातार तीन माह तक किराया बकाया रहने के स्थिति में दुकान खाली कराने हेतु प्रबंधन समिति स्वत्रंत एवं सक्षम होगी।
3. प्रबंधन समिति का दायित्व होगा कि इसके नियंत्रणाधीन जिला स्तरीय वर्णित सभी स्टेडियम को अतिक्रमण मुक्त रखे तथा इस हेतु सभी प्रकार के विधिक एवं प्रशासनिक कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। स्टेडियम के देख–रेख करने हेतु केयरटेकर, रात्रि प्रहरी, दैनिक मजदुर अथवा अन्य प्रकार का आवश्यकता अनुरूप निर्णय लेने हेतु समिति सक्षम होगी।
4. टिकट पर आयोजित राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय एवं बड़े खेल आयोजनों के लिए वास्तविक आयोजन की तिथि से कम से कम 10 दिन पूर्व निम्नांकित कागजात उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा :–
   - क) टिकट पर खेल आयोजन एवं अन्य कार्यक्रमों के आयोजन हेतु आयकर विभाग/मनोरंजन कर विभाग, सीतामढ़ी से अनुज्ञा पत्र/अनुमति पत्र।
   - ख) स्थानीय स्तर पर अनुमण्डल पदाधिकारी, सीतामढ़ी सदर एवं अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, सीतामढ़ी सदर से अनापत्ति प्रमाण पत्र।
   - ग) स्टेडियम परिसर में प्रबंधन समिति के अनुमति प्राप्त करने के उपरांत एक सीमित अवधि के लिए अस्थाई रूप के लिए वस्तु बिक्री की अनुमति दी जा सकेगी।
5. यदि किसी एडभर्टाईजिंग कन्सलटेन्ट से कोई कॉन्टैक्ट होगा तो विज्ञापन हेतु सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि विज्ञापन हेतु उन्हें स्टेडियम के आन्तरिक एवं बाहरी सतह पर विज्ञापन का अधिकार कन्सलटेन्ट अथवा इच्छुक फर्म को दिया जाएगा, जिसका दर 20 पैसे प्रति वर्ग फिट प्रतिदिन के आधार पर होगा। इस दर को समय–समय पर संशोधित किया जा सकेगा। किसी भी स्थिति में विवादास्पद विज्ञापन नहीं लगाया जा सकेगा। किसी भी समय उन्हें हटाने का निर्णय प्रबंधन समिति ले सकेगी, दिवाल के 6 फीट उपर तक इसका विज्ञापन हेतु प्रर्दशन कर सकेगें।
6. आयोजनकर्ता को विज्ञापन आदि से प्राप्त राशि का 25% राशि स्टेडियम प्रबंधन को जमा करना

होगा। यदि ऐसा नहीं होता है तो प्रति साधारण बैनर 9'X4'- 500/- प्रति बैनर तथा 15'X10'= 1,500/- प्रति बैनर की राशि स्टेडियम प्रबंधन को जमा करना होगा।

7. स्टेडियम के अंदर निम्नांकित स्थानों पर बैठने के लिए आमंत्रण पत्र/पूरक प्रवेश पत्र (कम्प्लीमेन्ट्री पास) स्टेडियम प्रबंधक द्वारा निर्गत किया जायेगा।
8. स्टेडियम प्रबंधन/विभाग के लिए आरक्षित बैठने का स्थान का निर्धारण होगा।
9. आयोज़न की अवधि में दुकान/कैटरिंग/रेस्तरा/साईकिल स्टैण्ड आदि जगहों का आवंटन निर्धारित दर पर स्टेडियम प्रबंधन द्वारा किया जायेगा। मुख्य स्टेडियम परिसर के अंदर उपरोक्त सुविधाएँ किसी भी परिस्थिति में उपलब्ध नहीं कराई जायेगी। विशेष परिस्थिति में कमिटि इस पर निर्णय लेने में सक्षम होगी।
10. स्टेडियम का बुकिंग दर का निर्धारण दर 10,000/– प्रतिदिन तथा हवाई अड्डा मैदान का 25,000/– प्रतिदिन होगा। यदि एक सप्ताह से अधिक समय के लिए स्टेडियम, हवाई अड्डा मैदान किसी के द्वारा किराया पर लिया जाएगा तो प्रबंधन समिति किराया दर में रियायत पर विचार कर सकती है जो कुल किराया के 25 प्रतिशत की अधिकतम सीमा होगी।
11. स्टेडियम के आरक्षण हेतु कुल जमा राशि का 50% राशि जमानत राशि हेतु जमा की जायेगी तथा यह राशि आयोजन समाप्ति के बाद लौटा दिया जायेगा। आयोजन से स्टेडियम का छति न हो इसलिए रख–रखाव कि जिम्मेवारी भी आयोजक की होगी। ऐसा नहीं होने पर सुरक्षित जमा राशि की कटौती 20 पैसे की प्रतिवर्गफीट की की दर से सुरक्षित जमा राशि से की जा सकेगी। इस दर को समय समय पर संशोधन करने का अधिकार प्रबंधन समिति के पास होगा।
12. स्टेडियम के आवंटन एवं अन्य किसी सुविधाओं के आरक्षण रद्ध होने की स्थिति में निम्न दर से किराया दर/जमा राशि में कटौती की जायेगी।
    क) आयोजन तिथि से 10 दिन पूर्व तक आरक्षण रद्ध होने पर – किराया का 10%
    ख) आयोजन तिथि से 07 दिन से 03 दिन तक आरक्षण रद्ध होने पर – किराया का 25%
    ग) आयोजन तिथि के दो दिन पूर्व तक आरक्षण रद्ध होने पर – किराया का 50%
    घ) आयोजन की तिथि के दो दिन के अन्दर आरक्षण रद्ध होने पर शत्–प्रतिशत राशि की कटौती कर ली जाएगी।
13. विद्युत आपूर्ति व्यय होने का वहन का भार आयोजक के द्वारा किया जायेगा।
14. आंधी–तुफान, आगलगी या अन्य प्राकृतिक आपदा की गड़बड़ी होने के कारण उत्पन्न स्थिति में क्षति होन पर स्टेडियम प्रबंधन की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी।
15. स्टेडियम प्रबंधन के साथ विचार–विमर्श करने के उपरांत ही आयोजकों को टिकट/आमंत्रण पत्र तथा कार लेवेल पास आदि की छपाई का कार्य का अंतिम रूप देना होगा। छपे हुए टिकट, आमंत्रण पत्र, शुभकामना, प्रवेश पत्र तथा कार लेवल पास आदि के सैम्पल के 5–5 सेट का नमुना के रूप में स्टेडियम प्रबंधन को अपने अभिलेख तथा सुरक्षा कर्मियों एवं यातायात पुलिस को मार्गदर्शन हेतु देना होगा। स्थानीय प्रशासन एवं आरक्षी अधिकारीयों को आवश्यकतानुसार टिकट/प्रवेश पत्र एवं कार पास आदि का नमुना उपलब्ध कराना होगा।
16. स्टेडियम परिसर में धुम्रपान एवं मादक पदार्थो का सेवन पूर्वतः वर्जित रहेगा। अगर इसका पालन आयोजक के द्वारा नहीं किया जाता है तो जमानत की राशि से 5,000 (पाँच हजार रूपये) की कटौती की जायेगी।
17. स्टेडियम के खेल मैदानं में कोई भी खाद्य पदार्थ ले जाना वर्जित रहेगा।

18. आयोजकों की यह जिम्मेवारी होगी की स्टेडियम के अंदर आयोजन हेतु उनके द्वारा लाए जाने वाले उपस्कर/साज सामान एवं पदार्थे को अच्छी तरह जाँचोपरांत यह सुनिश्चित कर लेंगे कि ये पदार्थ/सामान सुरक्षा तथा आगजनी के जोखिम से सुरक्षित हैं।
19. आयोजन के समय अग्नि सुरक्षा की व्यवस्था, चिकित्सा उपचार व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण, गेट पर पुरी चौकसी, कार पार्किंग की व्यवस्था आदि की जिम्मेवारी आयोजकों की होगी।
20. किसी भी आयोजन के समय स्टेडियम परिसर में आग जलाना, जानवरों, दुपहिया वाहन, गाड़ी आदि ऐसे उपकरण जिससे मैदान में क्षति होने की संभावना हो, पर रोक लगाना आयोजकों की पूर्ण जिम्मेवारी होगी।
21. आयोजकों को आयोजन के समय कमरें, शौचालय या ऐसे अन्य स्थान जो उन्हें आवंटित किया गया हो, का प्रभार स्टेडियम प्रबंधन/प्रबंधक से प्राप्त कर अपने अधीन सुविधा हेतु ले लेंगे। आयोजन के समाप्ति के तुरंत पश्चात् इसे पुनः स्टेडियम प्रबंधक को सौंप देना होगा। आयोजन के समाप्ति के तुरंत पश्चात् आयोजक या उनके प्रतिनिधि एवं स्टेडियम प्रबंधन संयुक्त रूप से सम्पूर्ण स्टेडियम का मुआयना कर सुनिश्चित करेंगे की क्या क्षति हुई है। क्षतिपूर्ति जमानत की राशि से वसूलनीय होगी।
22. आयोजन की समाप्ति के बाद स्टेडियम को साफ–सुथरा हालत में आयोजक द्वारा सुपूर्द करना होगा अन्यथा सफाई आदि पर होने वाला व्यय जामनत की राशि से काट ली जायेगी।
23. अन्य किसी प्रकार की सूचना एवं निर्देशन हेतु आयोजकों को स्टेडियम प्रबंधक से सम्पर्क स्थापित करना होगा। स्टेडियम प्रबंधक/राज्य सरकार के एक सक्षम पदाधिकारी है। इनके द्वारा लिए गये निर्णय आयोजकों पर लागू होगा।
24. स्टेडियम प्रबंधक द्वारा स्थल पर दिये गये निर्देश/परामर्श आयोजकों पर लागू होगा।
25. स्टेडियम प्रबंधक/प्रबंधन को यह अधिकार सुरक्षित है कि वे बिना कारण बताए स्टेडियम का आरक्षण का आरक्षण रद या अस्वीकृत कर सकते है।
26. स्टेडियम के आरक्षण हेतु दर तथा शर्त एवं बंधेज में अगर जरूरत समझा जायेगा तो स्टेडियम प्रबंधन /राज्य सरकार के द्वारा इस नियमावली में समय–समय पर संशोधित किया जा सकता है।
27. स्टेडियम प्रबंधन के बिना सहमति प्राप्त किये कोई सामान/उपस्कर एक जगह से दूसरी जगह नहीं हटाया जायेगा।
28. बड़े खेल आयोजनों/कार्यक्रमों के आयोजन तिथि से 10 दिन पूर्व से ही स्टेडियम आरक्षण की सुविधा उपलब्ध हो सकेगा, जिसके लिए किराया का निर्धारण स्टेडियम प्रबंधन समिति द्वारा तय किया जायेगा।
29. स्टेडियम परिसर में बास–बल्ला, नेल या दिवाल आदि में कांटी ठोकना वर्जित होगा।
30. स्टेडियम के आरक्षण से प्राप्त आय का स्टेडियम के रख–रखाव एवं खेल तथा समाजिक कार्य हेतु खर्च की जायेगी।
31. जिला में खेल विकास के लिए प्राप्त आवंटन से भी जिला स्तरीय स्टेडियम का विकास कार्य कराया जा सकेगा।
32. जिले में खेल–कुद के विकास एवं प्रोत्साहन हेतु स्टेडियम निःशुल्क उपलब्ध कराया जा सकेगा। परन्तु आयोजन कर्त्ता को साफ–सफाई आदि मद में 500 रूपये प्रतिदिन के दर से राशि प्रबंधन समिति को जमा करना होगा।
33. यह समिति सर्वसम्मति से निर्णय लेती है कि प्रशासनिक कार्यक्रम हेतु इसे निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा।
34. सर्वसम्मति से कमिटि के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि अलग–अलग स्टेडियम के लिए जिले के खेल में अभिरूचि रखने वाले खेल प्रेमियों की उपसमिति बना सकेगी परन्तु बनाई गई उपसमिति

का विघटन करने तथा उपसमितियों में परिवर्तन का अधिकार जिला स्तरीय प्रबंधन समिति के पास सुरक्षित होगी।

35. सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि जिला स्तरीय स्टेडियम प्रबंधन समिति जिले में उपलब्ध स्टेडियम एवं मैदान के सदर्भ में सूचना की जानकारी NIC के वेबसाईट पर उपलब्ध कराया जाए ताकि आनलाईन आरक्षण कराया जा सकें।

यदि उपर्युक्त शर्त एवं बंधेज (Rules & Regulation) के कंडिका–1 से 35 आयोजकों को मान्य होगा तो उन्हें वांछित डिमांड ड्राफ्ट एवं नकद राशि के साथ सभी आवश्यक कागजातों के स्टेडियम प्रबंधन को/आयोजन तिथि के 15 दिन पूर्व जमा करना होगा। वांछित कागजात/डिमांड ड्राफ्ट या नकद राशि ससमय जमा नहीं होने तक स्टेडियम का आवंटन/आरक्षण की अनुमति नहीं दी जायेगी।

नोट :– आयोजकों को आयोजन किए जाने वाले कार्यक्रमों की पूरी जानकारी स्टेडियम प्रबंधक को देना होगा। वही कार्यक्रम कराये जायेंगे, जिसकी सहमति स्टेडियम प्रबंधन द्वारा दी गयी है। कोई तदर्थ कार्यक्रमों का समावेश बिना अनुमति प्राप्त नहीं किया जायेगा। नियमों/शर्तो के उल्लघंन होने पर आयोजक दोषी होंगे तथा उन्हें भविष्य में स्टेडियम आरक्षण की सुविधा से वंचित रखा जायेगा।

ह0/–
जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी–सह–अध्यक्ष
जिला स्तरीय स्टेडियम प्रबंधन समिति

ज्ञापांक :– 441 **/सा0** **दिनांक :–** 29/3/16

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, कला एवं सस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– निदेशक, छात्र एवं युवा कल्याण विभाग, बिहार, पटना को उनके पत्रांक 124 दिनांक 04.02.2016 के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– पुलिस अधीक्षक, सीतामढ़ी/उप विकास आयुक्त, सीतामढ़ी/अनुमण्डल पदाधिकारी, सीतामढ़ी सदर /अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, सीतामढ़ी सदर/ Sports Promoter श्री श्याम किशोर प्रसाद/सदस्य सचिव, जिला खेल पदाधिकारी, सीतामढ़ी को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, सीतामढ़ी को NIC के वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अनुमण्डल पदाधिकारी, सीतामढ़ी सदर/पुपरी/बेलसण्ड को प्रबंधन समिति के नियमावली एवं प्रारूप के साथ सूचनार्थ प्रेषित। उन्हें निदेश दिया जाता है कि आपके अधिनस्थ जिला के प्रखण्डों में निर्माणाधीन/निर्मित स्टेडियमों में नियमित रूप से खेल कार्यक्रम एवं संचालनार्थ निदेशक, छात्र एवं युवा कल्याण विभाग के पत्रांक 124 दिनांक 04.02.2016 के आलोक में (प्रति संलग्न) प्रखण्ड स्तरीय स्टेडियम प्रबंधन समिति के गठन कर कृत कार्रवाई से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

28/3/16

जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी–सह–अध्यक्ष
जिला स्तरीय स्टेडियम प्रबंधन समिति